बस्तियों वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याणार्थ आवंटित धनराशि को व्यय करने में विफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, इस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई थी तथा उक्त अवधि के दौरान, वर्ष-वार उक्त प्रयोजनार्थ वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई थी तथा इस प्रकार के कु-प्रबन्ध के क्या कारण थे?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

झुग्गी-झोंपड़ियों संबंधी सर्वेक्षण-प्रतिवेदन

556. **श्री रामनरेश यादव:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले वर्ष एक सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का विस्तृत प्रतिवेदन क्या है तथा दिल्ली में किन-किन स्थानों पर ऐसी झुग्गी-झोंपड़ियां बनी हुई हैं और उनमें कितने व्यक्ति रह रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को पेयजल, बिजली, जल-मल निकास प्रणाली जैसी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी थीं; और

(घ) यदि हां, तो ये सुविधाएं अभी तक किन-किन क्षेत्रों में उपलब्ध करायी गयी हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) यमुना नदी के पश्चिम में स्थित झुग्गी-झोंपड़ियों के समूहों का एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से पता लगा कि वहां 457 झुग्गी-झोंपड़ी समूह थे, जिनमें कुल 1,27,460 झोपड़ियां थीं तथा उनकी जनसंख्या 457224 है, जिनमें से 57.72 प्रतिशत पुरुष एवं 42.78 प्रतिशत स्त्रियां थीं। झुग्गी-झोंपड़ी समूहों को दर्शाने वाली सूची तथा झुग्गियों की संख्या और प्रत्येक झुग्गी समूह में रहने वालों की जनसंख्या अनुलग्नक में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट 152, अनुपत्र सं० 25]

(ग) और (घ) पेयजल, परिधीय पथ प्रकाश "भुगतान करो एवं उपयोग करो" जनसुविधा परिसर, जिसमें शौचालय, स्नानागार, कूड़ा-करकट जमा करने के लिए ढलाव/कूड़ेदान, गलियों में ईंटें बिछाना तथा नालियां बनाने जैसी न्यूनतम मूलभूत सुविधा की आवश्यकताओं का जहां भी स्थानीय परिस्थितियों अनुमेय करती हैं, वहां विस्तार किया जाता है। झुग्गी-झोंपड़ी समूह की पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत सुविधायें, जो उपलब्ध कराई गई हैं या उपलब्ध कराई जा रही हैं, का विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) **जनसुविधा परिसर:**

(क) 117 परिसर, जिनमें 5588 डब्लयू सी सीटें तथा 2356 स्नानागार हैं।

(ख) 14 जनसुविधा परिसरों का कार्य प्रगति पर है।

(2) **विद्युत:**

326 झुग्गी समूहों में 4981 विद्युत पोल लगाये गये, जिनसे 6318 पथ-प्रकाश प्वाइंट उपलब्ध कराये गये हैं।

(3) **जलपूर्ति:**

(क) 216 झुग्गी समूहों में 601 इण्डिया पार्क 11 गहरे हैण्ड पम्प उपलब्ध कराये गये हैं।

(ख) पानी के नल: 280 झुग्गी-झोपड़ी समूहों में 917 नल लगाए गए हैं।

(4) **ईंटें बिछाना तथा नालियां :**

(क) 133 झुग्गी समूहों की गलियों में ईंटें तथा नालिया बनाई गई हैं।

(ख) 171 समूहों में कार्य प्रगति पर है।

कृषक-शिकायत पैनलों की स्थापना

557. **श्री राम नरेश यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान कृषक-शिकायत पैनल की स्थापना के संबंध में 6 सितम्बर, 1989 को प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा किसी ऐसी समिति की स्थापना की गई है जो किसानों की समस्याओं के समाधान में सहायक हो सके; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।